

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

शुद्धि-पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-1478, दिनांक-27/06/2018 के कंडिका सं०-1 के कॉलम में संस्थान का नाम एवं पता

“ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा, स्थायी पता:-अंचल-कहरा, मौजा-सहरसा नगरपालिका सर्वे वार्ड नं०-05, थाना नं०-189, खाता सं०-10, खेसरा सं०-254, 255, 256, 258, 259, 260, रकवा-2.60 एकड़”

के स्थान पर

“औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिस्फी (मधुबनी), स्थायी पता:- मौजा-धेपुरा खिखरीपट्टी, थाना-बिस्फी, खाता सं०-130, 323, 371(पुराना), 295(नया), खेसरा सं०-700, 714,713, 715, 682, 683, 690, 691, 692, 693(पुराना), 903, 865, 869, 1070, 1061, 1062(नया) में कुल रकवा-2.63 एकड़ ”


को प्रतिस्थापित की जाती है।

(2) शेष सभी कंडिकायें व शर्तें यथावत् रहेंगी।

ज्ञापांक- टी-3 (यो०)/भवन-20/2018 - 1649

/प ट ना, दिनांक- 17/07/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



विशेष सचिव,


श्रम संसाधन विभाग

/प ट ना, दिनांक- 17/07/2018

ज्ञापांक- टी-3 (यो०)/भवन-20/2018 - 1649

/प ट ना, दिनांक- 17/07/2018

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्रमायुक्त-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



विशेष सचिव,


श्रम संसाधन विभाग

/प ट ना, दिनांक- 17/07/2018

ज्ञापांक- टी-3 (यो०)/भवन-20/2018 - 1649

/प ट ना, दिनांक- 17/07/2018


प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/जिला कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, मधुबनी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिस्फी, मधुबनी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



विशेष सचिव,

श्रम संसाधन विभाग

/प ट ना, दिनांक- 17/07/2018



विशेष सचिव,

श्रम संसाधन विभाग